आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website. http //hte rajasthan gov in/dept/dce/
e-mail jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांकः– एफ 7(4) राजस्थान मिशन 2030 / अकाद / आकाशि / 2023–02661 / दिनांकः–

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान ।

विषयः– राजस्थान मिशन –2030 के अंतर्गत दिनांक 05.10.2023 को कार्यक्रम आयाजित कर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने हेतु ।

सन्दर्भः– आर्थिक एवं साख्यिकी निदेशालय के आदेश कमांक एफ.2 (3)डीईएस / 2023 / 04098 दिनांक 28.08.2023 एवं आयोजना विभाग का आदेश एफ 4(1)आयो. / ग्रुप–4 / 2023 दिनांक 31.08.2023 (प्रति संलग्न)।

राजस्थान मिशन 2030 अभियान के अंतर्गत निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त विजेता विद्यार्थियों को दिनांक 05.10.2023 को जिला स्तर एवं महाविद्यालय स्तर पर पुरस्कार वितरण के लिए संबंधित प्राचार्य निम्नानुसार कार्यवाही करेंगेः–

- **जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता** के प्रथम स्थान प्राप्त विजेता विद्यार्थी को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आदेश कमांक एफ.2 (3)डीईएस / 2023 / 04098 दिनांक 28.08.2023 की पालना में प्रत्येक जिलेवार राशि रूपये 1,00,000 (एक लाख) का वितरण नकद / चैक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करावें।
- **महाविद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता** के प्रथम स्थान प्राप्त विजेता विद्यार्थी को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आदेश कमांक एफ.2 (3)डीईएस / 2023 / 04098 दिनांक 28.08.2023 की पालना में प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 2,000 का वितरण, नकद / चैक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
- संबंधित प्राचार्य द्वारा **निबंध प्रतियोगिता हेतु** पुरस्कार राशि का आहरण आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार पूल बजट मद 3454–02–205–01–01–30 से नियमानुसार किया जाना है।
- **भाषण प्रतियोगिता के लिए** प्रथम पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी को महाविद्यालय स्तर पर प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 2,000 एवं जिला स्तर पर राशि रूपये 1,00,000 (एक लाख) का वितरण विकास समिति कोष / बॉयज फण्ड एवं अन्य स्त्रोतों से नियमानुसार नकद / चैक के माध्यम से वितरण करना सुनिश्चित करावें।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित किया जाना है। प्राचार्य जिला कलेक्टर कार्यालय से समन्वय कर पुरस्कार वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। (50 जिलो के नोडल महाविद्यालयों की संलग्न सूची अनुसार)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कलेक्टर..................
4. मुख्यलेखाधिकारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सयुक्त निदेशक(आयोजना), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी इनोवेशन सेल, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. वैबसाईट प्रभारी, वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रो. सीमा कश्यप)
सयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid
Digitally signed by Seema Kashyap
Designation: Associate Professor
Date: 2023.10.05 1?:23:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4842313

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

विषयः— राजस्थान —मिशन 2030 अभियान के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा महाविद्यालयों में लेख प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान किये जाने बाबत्।

कृपया इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.08.2023 का अवलोकन करावें (संलग्न)। राजस्थान मिशन 2030 अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान को सफल बनाने हेतु राज्य के समस्त कॉलेजों (सभी विश्वविद्यालयों के संघठक कॉलेजों सहित) में लेख प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु **वित्त विभाग द्वारा आई.डी. संख्या 162301836** द्वारा अभियान के लिए निम्नानुसार राशि 1 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है:—

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	राशि लाखों में
1	मिशन—2030 विषय पर स्कूल और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु:—	
	A. महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता	
	1. महाविद्यालय स्तरीय आयोजन व पुरस्कार आदि के लिये प्रति महाविद्यालय राशि रू. 2,000/— महाविद्यालय की संख्या 2500	50.00
	2. जिला स्तरीय पुरस्कार 1.00 लाख रू. प्रति जिला	50.00

उक्त राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों RTTP अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए की जावें। साथ ही स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय नहीं हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जावें।

अभियान के अतिरिक्त दिशा—निर्देश दिनांक 25.08.2023 के अनुसार भाषण प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु पृथक से राशि का आवंटन शीघ्र किया जा रहा है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 4(1)आयो./ग्रुप—4/2023
जयपुर, दिनांकः 31.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना।
4. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

फोन नं.:– 0141–28502509, ई–मेलः–aao.des@rajasthan.gov.in

दिनांक

क्रमांकः एफ.2(3)/डीईएस/2023/04098/

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग की आई.डी संख्या 162301836 दिनांक 18.08.2023 द्वारा राजस्थान मिशन 2030 अभियान के लिए विभिन्न लेखा मदों में बजट अनुमोदित किया गया है। आयोजना विभाग के पत्रांक एफ. 4(1)आयो./ग्रुप–4/2023 दिनांक 21.08.2023 की पालना में इस मिशन के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिये निम्न विभागों को निम्नानुसार पुल बजट आवंटन किया जा कर व्यय करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	बजट मद	कार्य	राशि (रु लाखों में)	आई.डी. संख्या	विवरण
1.	सूचना प्रोद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग	3454–02–205 –01–01–62	विभिन्न तकनीकी व सूचना प्रोद्योगिकी आधारित गतिविधियों के लिए	50.00	1888	
2.	आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान	3454–02–205 –01–01–30	1.माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयो में प्रतियोगिता आयोजन व पुरस्कार आदि के लिए प्रति विद्यालय राशि रू. 1200/– कुल विद्यालयो की संख्या 35000	420.00	911	
			2. जिला स्तरीय पुरस्कार 50,000 रूपये प्रति जिला	25.00		
			योग	445.00		
3.	कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर	3454–02–205 –01–01–30	1.महाविद्यालय स्तरीय आयोजन व पुरस्कार आदि के लिए प्रति महाविद्यालय राशि रू. 2000/– महाविद्यालयो की संख्या 2500	50.00	8959	
			2.जिला स्तरीय पुरस्कार 1,00,000 रूपये प्रति जिला	50.00		
			योग	100.00		

प्रत्येक विभाग को पूल बजट में से नियमानुसार अधिकृत राशि व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(भंवरलाल बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa
Designation : Director and Joint Secretary
Date: 2023.08.28 1?:42:30 IST
Reason: Approved

Ref No. : 4579302